न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 12/2016

1 जयपान सिंह उर्फ जयपाल सिंह उम्र 72 साल पुत्र श्री तिलोकचन्द जाति जाट निवासी माला मण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1

बनाम

1 हिरालाल पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 74 साल पेशा खेती निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 शिशुपाल सिंह पुत्र श्री नागरमल उम्र 65 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 प्रताप सिंह पुत्र श्री अर्जुनराम उम्र 76 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
4 चन्दो पुत्री श्री अर्जुनराम पत्नी श्री परसादाराम उम्र 60 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी सेकूपुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.।
5 भगवानी पुत्री श्री अर्जुन पत्नी श्री रामेश्वर उम्र 58 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी सेकूपुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.।
6 राजो पुत्री श्री अर्जुन पत्नी श्री ग्यारसी लाल उम्र 56 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी सेकूपुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.।
7 सजना पत्नी श्री उम्मेद सिंह उम्र 55 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
8 महेश पुत्र श्री उम्मेद जाति जाट निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
8/1 श्रीमती सुमन उम्र 42 साल पत्नी श्री स्व. महेश जाति जाट निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
8/2 सौरव आयु 20 साल पुत्र स्व. महेश जाति जाट निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8/3 स्नेह आयु 22 साल पुत्री स्व. महेश जाति जाट निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

9 राजेश पुत्र श्री उम्मेद उम्र 33 साल जाति जाट निवासी लाला माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

10 झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लि खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

11 एसबीबीजे जरिये शखा प्रबंधक शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

12 रोशनी पुत्री श्री तिलोक पत्नी श्री ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी सिरोही बहाली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। हाल आबाद धींधवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण।

12/1 प्रदीप आयु 32 साल पुत्र रोशनी जाति जाट निवासी सिरोही बहाली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। हाल आबाद धींधवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12/2 संदीप आयु 30 साल पुत्र रोशनी जाति जाट निवासी सिरोही बहाली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। हाल आबाद धींधवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

14 भरत सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र हीरालाल उम्र 45 साल जाति जाट पेशा खेती निवासी लाल माण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण नम्बरान 2 लगायत 14

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांकित 19.10.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू राज. बमुकदमा उनवानी हीरालाल बनाम जयपान सिंह वगै. दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 222/2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हिदायत हुसैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 222/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 18, 20, 69, 70, 71, 74, 78, 79, 82, 83, 120, 143, 166, 203, 230, 231, 262, 264, 266, 269, 297, 188, 197, 222 वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 जयपान सिंह उर्फ जयपाल सिंह का निवास स्थान तहसील व जिला व जाति व पेशा व उम्र तक दर्ज नहीं किए है जबकि ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल सी में दावे में प्रतिवादी का नाम विवरण निवास स्थान दर्ज करना आवश्यक है। जिससे प्रतिवादीगण की शिनाख्तगी हो जावे जबकि वादी ने उक्त दावा में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की ही सकूनत जाति पेशा उम्र दर्ज नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण नम्बरान 2 लगायत 9 की भी जाति, सकूनत, उम्र, पेशा तहसील व जिला दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं किए जिससे की उनकी जानकारी हो जावें। इस प्रकार से वादी ने उक्त उनवानी दावा प्रस्तुत करते वक्त ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल सी की अवहेलना की है। इसलिए कानूनन यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 जयपान सिंह उर्फ जयपाल सिंह पर उक्त उनवानी दावा हाजा के सम्मन की तामिल विधिवत व नियत रीति व नीति से हुई हो, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांकित 19.10.2015 दुषित होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। वादी हीरालाल ने धोखे पर रखकर प्राथमिक डिक्री पारित करवा ली जबकि सही बात यह कि उक्त उनवानी दावा में दर्ज आराजियात मुत्तदाविया के संबंध में पूर्व में उक्त उनवानी दावा हाजा में दर्ज प्रतिवादिया नम्बर 12 रोशनी ने एक दावा मुकदमा नम्बर 59/2004 उनवानी रोशनी बनाम जयपाल सिंह वगै. दावा घोषणात्मक, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं की अदालत में दायर किया, जिसमें उक्त हीरालाल वादी का पिता अर्जुनराम उक्त दावा में प्रतिवादी नम्बर 3 दर्ज किया गया है। उक्त अर्जुनराम दौराने दावा या अपील फौत हो गया। उक्त दावा का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी ने दिनांक 05.07.2004 को विधिवत तनकीयात कायम कर पक्षकारान के मध्य इन्हीं आराजियात के संबंध में पारित किया है, जिसमें आदेशित किया गया है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 188, 197, 222, 18, 20, 69, 70, 71, 74, 78, 79, 82, 83, 120, 142, 143, 166, 203, 219, 230, 231, 262, 264, 266, 269, 297 किता 26 कुल रकबा 41.32 हैक्टेयर में वादिया को 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जयपाल का 1/4 की बजाय 1/6 हिस्सा दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है, साथ ही इस भूमि में वादिया के 1/2 हिस्से की भूमि का खाता भी अलग से विभाजित किए जाने का आदेश भी दिया जाता है व विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को 500/- रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आराजियात मुत्तदाविया के संबंध में सक्षम अदालत हाजा द्वारा अपने उक्त निर्णय व डिक्री के द्वारा संबंधित तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव बहुत पहले पूर्व ही मांग लिए गये है। इसलिए मौजुदा वाद उक्त वादी हीरालाल दायर करने में सक्षम नहीं था क्योंकि इस मौजुदा वाद में दायर पक्षकारान उक्त रोशनी के द्वारा दायर वाद में समस्त मौजुद है। इसलिए पक्षकारान के मध्य जब एक बार विधिवत उन्हीं आराजियात के संबंध में सक्षम अदालत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित हो गया तो उसके बाद में दूसरा दावा सेक्सन 11 सीपीसी के तहत निषेध होने कारण दावा कानूनन दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि कानूनन बंटवारे के दावे में वादी व प्रतिवादीगण सभी वादीगण समझे जाते है। इसलिए इस बिना पर उक्त वाद हीरालाल के द्वारा दायर उक्त दावा मौजुदा सूरत में चलने काबिल नहीं होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। जिसकी जानकारी उक्त वादी हीरालाल को बखूबी है। उक्त रोशनी द्वारा पूर्व में दायर दावा रोशनी बनाम जयपाल सिंह वगै. में पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.07.2004 के विरूद्ध में अपीलान्ट जयपाल सिंह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं में प्रथम अपील दायर की थी, जो दिनांक 27.03.2006 को खारिज कर दी गई है, जिस पर अपीलान्ट जयपाल सिंह ने द्वितीय अपील जयपाल सिंह बनाम मु. रोशनी वगै. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर की, जो दिनांक 07.12. 2015 को खारिज हो चुकी है, जिसमें मौजुदा वादी हीरालाल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 दर्ज है। इसलिए कानूनन यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त वादी हीरालाल को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.12.2015 की जानकारी ना हो तथा उक्त रोशनी वाले प्रकरण में अपीलान्ट जयपाल सिंह उर्फ जयपाल सिंह ने उपरोक्त प्रकार से पारित हर तीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में **SB. Civil Writ Petition No** 19123/2016 उनवानी जयपाल सिंह बनाम रोशनी वगै. दायर कर रखी है, जिसमें उक्त वादी, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 दर्ज है। इस पकार से उक्त वादी हीरालाल का यह मौजुदा वाद उक्त रोशनी वाले पूर्व दायर के बाद का दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

होने के कारण सेक्सन 10 सीपीसी के तहत निषेध होने के कारण यह दावा चल नहीं सकता और इसकी कार्यवाही काबिले स्थगित है क्योंकि अपील व रीट संबंधित दावे को ही कन्टीन्यूईटी होती है। इसलिए उक्त वादी हीरालाल के द्वारा दायर दावा बाद का होने के कारण उसकी कार्यवाही स्थगित होने के कारण विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.10.2015 मय खर्चा काबिले खारिज है। जानकारी से अंदन मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने सभी पक्षकारों की सम्यक तामील के उपरांत प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वादी सुनकर विधि अनुसार विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे किसी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विभाजन के वाद में अपीलान्ट के पास विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 16.06.2015 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 14 भरत सिंह को उपस्थित दिखाया है। इसके पश्चात दिनांक 30.07.2015 की आदेशिका में सभी प्रतिवादीगण 1 से 14 को अनुपस्थित अंकित कर एकपक्षीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

कार्यवाही का आदेश पारित कर सीधे पत्रावली बहस हेतु नियत की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार वादी की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजिक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर